



आवाज प्लस

RNI. NO.: UPHIN/2008/25919



समाज में प्रभावी आवाज

आवाज प्लस क्या है, कैसे जुड़े?

आवाज प्लस क्या है ?

सर्वप्रथम आवाज प्लस मीडिया हाउस में आपका स्वागत है। आवाज प्लस मीडिया हाउस द्वारा साप्ताहिक/दैनिक समाचार पत्र (डिजिटल/प्रिंट), मासिक पत्रिका, यूट्यूब न्यूज चैनल (जल्द डी0डी0 न्यूज पर भी उपलब्ध), ओटीटी एवं वेब चैनल संचालित होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए प्रत्येक माह "चिल्ड्रेन फाउण्डेशन" नामक विशेषांक, पुलिस विभाग के लिए वेब चैनल के साथ-साथ प्रत्येक 15 दिन पर "पुलिस फोर्स" नामक विशेषांक एवं व्यापारी भाईयों के लिए वेब चैनल के साथ-साथ प्रत्येक 15 दिन पर "व्यापार प्लस" नामक विशेषांक भी संचालित किया जायेगा।

आवाज प्लस मीडिया हाउस में आय का प्रमुख साधन ?

आवाज प्लस मीडिया हाउस में आय का साधन प्रमुख रूप से आवाज प्लस "पत्र-पत्रिका" की सदस्यता राशि, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, वेब पोर्टल, ओटीटी, यूट्यूब न्यूज चैनल एवं अन्य विशेष संस्करण हेतु विज्ञापन बुकिंग, प्रोसेसिंग राशि व परिचय पत्र नवीनीकरण शामिल है।

आवाज प्लस किस माध्यम से कार्य करेगा ?

आवाज प्लस "पत्र-पत्रिका" की सदस्यता राशि, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, वेब पोर्टल, ओटीटी, यूट्यूब चैनल एवं अन्य विशेष संस्करण हेतु प्रत्येक जिला में एक ही टीम कार्य करेगी। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जिला में जिला/तहसील/ब्लॉक/पंचायत एवं थाना स्तर (सिर्फ यूट्यूब न्यूज चैनल हेतु) पर गठित कार्य टीम को दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका, वेब पोर्टल, ओटीटी, यूट्यूब चैनल एवं अन्य विशेष संस्करण के लिए कार्य करेगा।

फ्रीलांसर रिपोर्टर पद (निःशुल्क) हेतु आवेदन कैसे करे?

सम्पूर्ण भारत में थाना स्तर पर फ्रीलांसर रिपोर्टर का पद हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त पद पर कार्य करने के एवज में किसी भी प्रकार मानदेय प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदक को इस पद पर आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई राशि भुगतान नहीं करना होगा। आप द्वारा उपलब्ध समाचार को दैनिक समाचार पत्र एवं वेब पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा। यदि आप द्वारा संस्थान को कोई विज्ञापन समाचार पत्र/पत्रिका के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो आप द्वारा उपलब्ध विज्ञापन का पर 15 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। यदि आप वेबपोर्टल अथवा यूट्यूब न्यूज चैनल पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है, तो आपको 35 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। आपको अपने अधीनस्थ किसी भी प्रकार का टीम गठन नहीं करना होगा। उपरोक्त कार्य को सुचारु पूर्वक करने के लिए आपको संस्थान द्वारा फोटोयुक्त अधिकार पत्र भी जारी किया जायेगा।

फ्रीलांसर रिपोर्टर पद हेतु आवेदन कैसे करे?

सम्पूर्ण भारत में प्रत्येक थाना स्तर पर फ्रीलांसर रिपोर्टर का पद हेतु आप आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त पद पर कार्य करने के एवज में किसी भी प्रकार मानदेय प्रदान नहीं किया जायेगा। आवेदक को इस पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को रूपया 1550.00 का भुगतान करना होगा, जिसके एवज में रूपया 5000.00 का विज्ञापन कूपन प्रदान किया जायेगा, जिसका प्रयोग आप एक वर्ष के अवधि में (प्रमुख राष्ट्रीय पर्व/त्यौहार को छोड़कर) कर सकते हैं, जिसके तहत आप द्वारा बुकिंग किये गये विज्ञापन का भुगतान उपरोक्त राशि तक नहीं करना होगा। आप द्वारा उपलब्ध समाचार को दैनिक समाचार पत्र एवं वेब पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा। यदि आप द्वारा संस्थान को कोई विज्ञापन समाचार पत्र/पत्रिका के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो आप द्वारा उपलब्ध विज्ञापन का पर 25 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। यदि आप वेबपोर्टल अथवा यूट्यूब न्यूज चैनल पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है, तो आपको 45 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। आपको अपने अधीनस्थ किसी भी प्रकार का टीम गठन नहीं करना होगा। उपरोक्त कार्य को सुचारु पूर्वक करने के लिए आपको संस्थान द्वारा फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी किया जायेगा। आपको अपने अधीनस्थ किसी भी प्रकार का टीम गठन नहीं करना होगा।

आवाज प्लस में नियमित रूप से कैसे आवेदन करे ?

आवाज प्लस मीडिया हाउस अपने संस्करण हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक जिला में जनपद स्तर पर ब्यूरो प्रमुख नियुक्ति किया जायेगा। उसके उपरान्त ब्यूरो प्रमुख की सहायता से तहसील स्तर पर सहायक ब्यूरो प्रमुख, ब्लाक स्तर पर वरिष्ठ संवाददाता व पंचायत स्तर पर पंचायत संवाददाता का चयन किया जायेगा। चयनित पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र में (संख्या के अनुसार) कार्य टीम का नियमानुसार गठन करना होगा, इसके साथ ही समाचार संकलन, विज्ञापन बुकिंग व सदस्यता बुकिंग जैसे कार्य करना होगा। सभी पदाधिकारियों को समाचार संकलन, विज्ञापन बुकिंग व सदस्यता बुकिंग जैसे कार्य करना होगा। इसके सभी कार्यों की रिपोर्टिंग प्रतिदिन अपने-अपने अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त थाना स्तर पर प्रचार/प्रसार अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है।

उपरोक्त निर्धारित दायित्वों की पूर्ति करने के एवज में प्रतिमाह सभी पदाधिकारियों को निर्धारित मानदेय जैसे ब्यूरो प्रमुख रूपया 15500.00 मात्र सहित अन्य उपलब्ध सेवा लाभ मिलेगा अथवा स्वात्वाधिकारी स्तर, सहायक ब्यूरो प्रमुख को रूपया 8500.00 मात्र सहित अन्य उपलब्ध सेवा लाभ मिलेगा अथवा स्वात्वाधिकारी स्तर, संवाददाता को रूपया 6500.00 मात्र सहित अन्य उपलब्ध सेवा लाभ मिलेगा अथवा स्वात्वाधिकारी स्तर व सूचना प्रतिनिधि को रूपया 5500.00 मात्र मानदेय सहित अन्य उपलब्ध सेवा लाभ मिलेगा अथवा स्वात्वाधिकारी स्तर के अनुसार मिलेगा। उपरोक्त मानदेय जिले में कार्यरत ब्यूरो प्रमुख द्वारा तहसील/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर, उसकी सूची प्रशासनिक कार्यालय, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की

(शेष अगले पृष्ठ पर)

तिथि से प्रारम्भ होगा। तब तक आप फ्रीलांसर रिपोर्टर के रूप में अपने कार्यक्षेत्र में कार्य करेंगे।

स्वात्वाधिकारी स्तर का अर्थ यह है कि आपको उपरोक्त पद पर कार्य करने के लिए किसी प्रकार का कोई लक्ष्य अथवा मानदेय प्रदान नहीं किया जायेगा। सिर्फ आपको अपने क्षेत्र में (संख्या के अनुसार) कार्यटीम का नियमानुसार गठन करना होगा। आप द्वारा उपलब्ध समाचार को दैनिक समाचार पत्र एवं वेब पोर्टल में प्रकाशित किया जायेगा। यदि आप द्वारा संस्थान को कोई विज्ञापन समाचार पत्र/पत्रिका के लिए उपलब्ध कराया जाता है, तो आप द्वारा उपलब्ध विज्ञापन का पर 35 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। यदि आप वेबपोर्टल अथवा यूट्यूब न्यूज चैनल पर विज्ञापन उपलब्ध कराया जाता है, तो आपको 45 प्रतिशत राशि को कमीशन के रूप में दिया जायेगा। उपरोक्त कार्य को सुचारू पूर्वक करने के लिए आपको संस्थान द्वारा फोटोयुक्त परिचय पत्र जारी किया जायेगा। आपको अपने अधीनस्थ किसी भी प्रकार का टीम गठन नहीं करना होगा।

विशेष नोट : आवाज प्लस में शामिल होने के उपरान्त आप सभी को स्वयं की सम्बन्धित पत्र/पत्रिका की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रमुख राष्ट्रीय पर्व/त्यौहारों पर आप द्वारा कम से कम 5 विज्ञापन की बुकिंग करना आवश्यक होगा। सभी नियमित आवेदक को विशेष स्क्रीम के तहत रूपया 3550.00 मात्र प्रोसेसिंग राशि देना होगा, जिसके एवज में सभी को रूपया 10000.00 का विज्ञापन कूपन प्रदान किया जायेगा, जिसका प्रयोग आप एक वर्ष के अवधि में (प्रमुख राष्ट्रीय पर्व/त्यौहार को छोड़कर) कर सकते हैं, जिसके तहत आप द्वारा बुकिंग किये गये विज्ञापन का भुगतान उपरोक्त राशि तक नहीं करना होगा।

आवाज प्लस में प्रचार/प्रसार अधिकारी के पद पर कैसे आवेदन करें ?

प्रचार/प्रसार अधिकारी पद हेतु आवेदन करने हेतु आवाज प्लस की वेबसाइट <https://awazplus.com/> पर जाकर प्रचार/प्रसार अधिकारी लिखे पर क्लिक करें, सबसे पहले पोर्टल में दिये गये सभी दिशा/निर्देशों से सहमत हो जायें, उसके उपरान्त फॉर्म में दिये गये सभी कॉलम को भरें। सभी कॉलम को भरने के उपरान्त नीचे लिख **Sumit** को क्लिक करें, उसके उपरान्त सुबिधानुसार माध्यम से प्रोसेसिंग राशि का भुगतान करें। भुगतान सफलतापूर्वक होने पर स्वतः प्राप्त आपका यूजर आई डी एवं पासवर्ड को सुरक्षित करें, आप चाहे तो उपलब्ध भुगतान रसीद एवं यूजर आई डी एवं पासवर्ड पत्र को अपने कम्प्यूटर अथवा मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं।

उपरोक्त पदों पर आवेदन करते समय आवेदक को निर्धारित प्रोसेसिंग राशि रूपया रूपया 2250.00 मात्र का भुगतान करना होगा। भुगतान सफलतापूर्वक होने पर स्वतः प्राप्त आपका यूजर आई डी एवं पासवर्ड को सुरक्षित करें, आप चाहे तो उपलब्ध भुगतान रसीद एवं यूजर आई डी एवं पासवर्ड पत्र को अपने कम्प्यूटर अथवा मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं।

नियम/शर्तें:-

- आवेदन केवल प्रकाशन कार्यालय लखनऊ द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र पर ही मान्य होगा।
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता ब्यूरो प्रमुख पद हेतु स्नातक/समकक्ष अथवा सम्बन्धित पद का अनुभव एवं सूचना प्रतिनिधि पद हेतु हाईस्कूल अथवा सम्बन्धित पद का अनुभव के साथ-साथ क्षेत्र में अच्छा सामाजिक परिचय होनी चाहिए।
- यदि किसी भी आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में नियुक्ति सम्बन्धित दी गई कोई भी सूचना गलत पाई या साबित होती है, तो उसकी नियुक्ति निरस्त कर उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- सम्पूर्ण भारतवर्ष में आवेदक का चयन करना तथा किसी चयन को निरस्त करना अथवा किसी पदाधिकारी का अन्य जिला में स्थान्तरण करने का पूर्णतया: अधिकार सम्पादक- आवाज प्लस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को होगा।
- आवेदक किसी अर्द्धसरकारी संस्था/प्राइवेट संस्था/कम्पनी/फर्म में कार्यरत हैं, तो उसका आपत्ति नहीं प्रमाण-पत्र आवेदन फार्म में संलग्न करना अनिवार्य है।
- चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा किसी प्रकार की सिफारिश/अवैध तरीके/अन्य असामान्य क्रियायें आदि करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
- विवरण में उल्लिखित सभी नियमों व शर्तों में विशेष परिस्थितियों के कारण संशोधन/परिवर्तन का अधिकार केवल सम्पादक 'आवाज प्लस', लखनऊ को होगा।
- आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षर आवेदन करने से सेवामुक्ति समय तक नहीं बदलने चाहिए।
- आवाज प्लस, लखनऊ से संबंधित किसी प्रकार के विवादों का निपटारा सर्व प्रथम आवाज प्लस की प्रवन्ध-कमेटी करेगी, उसके उपरान्त ही न्याय क्षेत्र केवल लखनऊ न्यायालय, उत्तर प्रदेश में ही मान्य होगा।
- किसी भी ब्यूरो प्रमुख अथवा अन्य पदाधिकारी का स्थान्तरण कार्य को देखते हुए कभी भी, कहीं भी किया जा सकता है।
- किसी भी जिला में ब्यूरो कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय से सम्बन्धित किसी भी मद में कोई भी खर्चा प्रशासनिक कार्यालय से उपलब्ध नहीं कराया जायेगा अपितु ब्यूरो कार्यालय के स्थापित होने की दशा में प्रथम छह माह कार्य का आकलन उपरान्त मानक में पूर्ण पाये जाने उपरान्त कार्यालय किराया, टेलीफोन बिल, कम्प्यूटर आपरेटर का खर्च प्रशासनिक कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।
- उपरोक्त नियमों में सम्पादक द्वारा किये गए संशोधन/परिवर्तन से यदि कोई भी पदाधिकारी असंतुष्ट होता है, तो वह स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है।

अन्य जानकारी का स्वागत है आपकी लगन तथा हमारे निष्ठा हमारे समाज एवं मौलिक प्रकाशन की प्रगति हेतु लाभकारी होगी। धन्यवाद!



आप इस प्रकार से करें प्रोसेसिंग राशि का ऑनलाइन भुगतान



आवेदक का हस्ताक्षर

देश-विदेश • राजनीति • अपराध • मनोरंजन • खेल जगत

न्यूज चैनल/प्रिंट संस्करण



आवाज प्लस
समाज में प्रभावी आवाज

RNI. NO.: UPHIN/2008/25919



POST NAME: Date :

01. TITLE Mr. Mrs. Ms. Dr. D.D./I.P.O. NO.(for Regd.) -----

02. NAME

03. FATHER'S NAME

04. PRESENT ADD.
(MAILING)

..... City State Pin Code

05. MARITAL STATUS Married Un- Married DATE OF BIRTH

06. EDUCATION Graduate Post-Graduate

07. OCCUPATION (A) Salaried Govt. Public Sector Public Ltd. Co. Other
(B) Sell Employed Professional Business Retired/Sr. Citizen

08. LANGUAGES KNOWN Hindi English Other

09. NEAREST RLY. STN. NEAREST POLICE STATION

10. BANKERS Pan No.

11. BUSINESS ADD. M/s. Desig.
..... City

State Pin Code STD Code Office No.

Mobile No. E-mail Fax. No.

13. PROOF OF IDENTITY (Any One) Passport Voter I.D. Card Pan Card Driving Licence

14. PROOF OF ADDRESS (Any One) Ration Card Telephone/Electricity Bill Bank Statement

ATTACH DOCUMENT :

- 01: *PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH
02: *PROOF OF IDENTITY
03: *PROOF OF ADDRESS
04: *LAST QUALIFICATION DOCUMENT

Signature of Applicant

PROCESSING FEE - RS. 3550/- ONLY

Please enclose Photocopy of above mentioned ID/Address Proof, 3 Recent Passport Size Photographs with Cash/Bank Draft/I.P.O. for Processing fee in favor of "AWAZ PLUS" payable at Lucknow or online Payment along with this Application Form.

IDENTITY CARD AND OTHER MATERIAL WILL BE SENT WITHIN 07 DAYS AFTER RECEIVING THIS APPLICATION FROM

FOR OFFICE USE ONLY

POST NAME:

Applicant Name : Application Form no.:

Address :

Mode of Payment : Cash () DD () Online Paymet () Offline Paymet ()

Date of Issue : Valid upto: SIGNATURE

PHOTO